

विद्यालय
गुरुद्वा

वाक सोएफजा अ.स. - 85/07 (अलौ)

अभिनवामन

अधिकारी

आगरा।

दिनांक: अप्रैल 29, 2020

सहायक चाहर नियोजक
बलीगद विकास प्राधिकरण
बलीगद।

विषय: कन्द्रीय विद्यालय आईटी0आई0 रोड उत्तरांड मवन के अन्तर्गत गुरुद्वा विषयक अनापत्ति प्रमाणपत्र के सम्बन्ध

में संदर्भ— गुरुपत्र का पत्र सख्ता 3908/नियोजक 0/ 2007-08 दिनांक 07.02.2008 एवं प्रधानाचार्य कन्द्रीय विद्यालय आपातत्या का नियोजक सम्बन्ध में इस कार्यालय के समसच्चयक पत्र दिनांक 19.03.2008 के द्वारा उठाई गयी उपलब्धिकारी विषयक प्रस्तावित मवन के नियोजन हुए पत्र प्रष्ठित मानवित्र का अवलोकन /परीक्षण किया तथा इस सम्बन्ध में उत्तरांड आफ इडिया के नियोजन हाम एक्यस के पत्रक 24.12.2004 रेनडीएमआई दिनांक 30.08.04 के साथ उत्तरांड मारताय मानक व्यास द्वारा नियोजित आ.सा-14435-1997द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में परिशास नियोजन विवरणों के सम्बन्ध

में करने का कार्यकृत कर जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के समसच्चयक पत्र दिनांक 19.03.2008 के द्वारा उठाई गयी उपलब्धिकारी विषयक प्रस्तावित मवन के नियोजन हुए पत्र प्रष्ठित मानवित्र का अवलोकन /परीक्षण किया तथा इस सम्बन्ध में उत्तरांड आफ इडिया के नियोजन हाम एक्यस के पत्रक 24.12.2004 रेनडीएमआई दिनांक 30.08.04 के साथ उत्तरांड मारताय मानक व्यास द्वारा नियोजित आ.सा-14435-1997द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में परिशास नियोजन विवरणों के सम्बन्ध

(३) गुरुपत्र 3908/नियोजक

१. गुरुपत्र गुरुद्वा एरिया 1984.06 वर्ग मीटर।

२. गुरुपत्र गुरुद्वा एरिया 1880.97 वर्ग मीटर।

३. गुरुपत्र गुरुद्वा एरिया 114.88 वर्ग मीटर।

४. गुरुपत्र गुरुद्वा एरिया 114.88 वर्ग मीटर।

५. गुरुपत्र गुरुद्वा एरिया 153.75 वर्ग मीटर।

६. गुरुपत्र गुरुद्वा एरिया 135.40 वर्ग मीटर।

(४) आवश्यक टाइप IV

७. गुरुल कुल कुल एरिया 95.65 वर्ग मीटर।

८. गुरुल कुल कुल एरिया 2349.44 वर्ग मीटर।

९. गुरुल कुल कुल कुल एरिया 2311.26 वर्ग मीटर।

१०. गुरुल कुल कुल एरिया 4460.39 वर्ग मीटर।

११. गुरुल कुल कुल एरिया 114.88 वर्ग मीटर।
१२. प्रष्ठित मानवित्र में मवन के यारा यार व्यायायात्रे वैक को सदृश खुला उपलब्ध रखा जाना आवश्यक है।
इसमें किसी भूकाल का अवरोध एवं नियोजन काया है नहीं होगा।

१३. अनित सुरक्षा विषयक मुख्य मध्य विषयक निन प्रकार प्रस्तावित किये जा रहे हैं—

१. मवन में 20,000 लीटर कमता का टेरिस टैक की व्यवस्था।

२. स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 50,000 लीटर कमता के भूमिगत टैक की व्यवस्था।

३. मवन के टेरेस पर 450 एलप्राइम कमता के टेरेस पम्प का प्राविधान।

४. मवन में स्टेयरकर्स के समीप 100 एमएग साइज के एमएग पाइप के लाउनकमर जिसमें 6उर्मएग के लाउन

वाल्व नय होज पाइप बॉच की व्यवस्था की जाय तथा लाउनकमर को टैरेस पम्प से जड़वद किया जाए।

५. मवन में दशाये गये स्टेयरकर्स की संग्रहित कंपोनेंट भड़ग के लुल आकूणेन्ड जील के अधिकतम समुद्र

मय "शटआफ नाजुल" की व्यवस्था।

7. भवन में फायर अलार्म रिस्टम का प्राविधान।
8. भवन में रामस्त कारीओर्स, निकास मार्गों को प्रकाश चाहता एवं फायर पार्मो हेतु रैकल्पिक विद्युत श्रोत(जनरेटर)का प्राविधान।
9. भवन के जनरेटर रूप हेतु 50 किलो 50 किलो शमता के फोम ट्राली की चाहता।
10. भवन के प्रत्येक तल पर विद्युत पैगल के लिए रीओदू टाइप फायर एक्सटिग्यूशर शमता 45 किलोम के 02 अदद तथा प्रति 50वर्गमीटर क्षेत्रफल पर फायर एक्सटिग्यूशर एचीसी क्षमता 05 किलोम का 01अदद व 01 बैकेट शमता 05लीटर (गोल पेंडे वाली)- 04 अदद तथा प्रत्येक लैब हेतु एचीसी फायर एक्स- 5 किलोम का 02अदद अतिरिक्त का प्राविधान कराया जाय।
11. भवन के प्रत्येक ऐसे कक्ष जिनकी शमता 45 छाँतों से अधिक हो, हेतु न्यूनतम 02 दरवाजे उपलब्ध कराये जाए।
12. भवन के प्रत्येक तल पर न्यूनतम 02 अदद श्वसन्त्र निकास मार्ग उपलब्ध कराये जाए, जहाँ तक सम्भव हो 04 दूसरे के तिपरीत दिशा में अधिकतम दूसी पर रखे जाए।
13. स्लूल के कारीडोर अथवा कक्षों के "सैड एण्ड" जहाँ से एक ही निकास मार्ग एक ही दिशा में उपलब्ध कराये जाए।

अतः उपरोक्त शब्दों के साथ यह मनुव्यवालक प्राविज्ञानिक अनुपरिक्षणों पर इस भर्त के साथ निर्भत किया जाता है, कि उक्त अभिनशमन व्यवस्थाएं 00प्र० 00 अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा यन्त्रितम् 2005 के अन्तर्गत बीमा 00प्र० 00 अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा यन्त्रितम् 2005 के द्वारा अधिगृहीत त्रिशताव्यं विल्डिंग कोड आइ इंडिया के अनुसार प्रस्तावित की गयी हैं, जिन्हें भवन व योग से पूर्व सम्पादित कराकर अभिनशमन विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षणोंपरान्त अनियम रूप से अनापत्ति भान पत्र प्राप्त करना वृद्ध, जनहित में अनिवार्य होगा।

(किंचित्कैठसंग्रहालय)

मुख्य अभिनशमन अधिकारी

आगारा

प्राप्तिलिपि: 1. प्रधानमान्य, केन्द्रीय विद्यालय आड्डेटेक्साइट रोड, अलीगढ़ को धूपराम्। एवं अताशक कार्गताई हेतु प्रेषित।

2. अभिनशमन अधिकारी, अलीगढ़ को सूक्ष्म व अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(को०क०५अददाल)

मुख्य अभिनशमन अधिकारी

आगारा।